

आदिगंगा पुनरुद्धार योजना

प्रलम्ब के लिये:

आदिगंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण, गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय गंगा परिषद, भुवन-गंगा वेब एप, नमामि गंगे कार्यक्रम।

मेन्स के लिये:

आदिगंगा से जुड़े प्रमुख मुद्दे, गंगा से जुड़ी पहल।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आदिगंगा (कोलकाता शहर से प्रवाहित होने वाली **गंगा नदी** की मुख्य धारा) के पुनरुद्धार के संदर्भ में योजना की घोषणा की गई है।

- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन** ने इस प्राचीन नदी के पुनरुद्धार के लिये लगभग **650 करोड़ रुपए आवंटित** किये हैं तथा इसके **प्रदूषण** के उन्मूलन के लिये इसे **बहु-देशीय दक्षिण एशियाई नदी परियोजना** में शामिल किया गया है।

आदिगंगा से जुड़े प्रमुख मुद्दे और विकास:

- **अतिक्रमण का इतिहास:**
 - यह नदी जो कभी **17वीं शताब्दी तक गंगा की मुख्य धारा थी** और दशकों तक उपेक्षित रही और वर्तमान में काफी प्रदूषित होने के साथ ही इस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। आदिगंगा के **अवरुद्ध होने से क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है**।
 - हालाँकि आदिगंगा वर्ष 1970 के दशक तक अनुकूल रूप से प्रवाहित होती रही। बाद में इसकी **जल गुणवत्ता धीरे-धीरे खराब होती गई** और इसके तटों पर अतिक्रमण के कारण यह एक सीवर में तब्दील हो गई।
 - वर्ष 1998 में **कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महीने के भीतर नदी से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था**।
 - हालाँकि एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, इस पहले आदेश के दो दशक बाद भी अतिक्रमण अभी भी कायम है।
- **हालिया स्थिति:**
 - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आँकड़ों के अनुसार, इस नदी को अब **व्यावहारिक रूप से मृत माना जा सकता है** और ऐसा कहा जा सकता है **कनिदी के प्रति 100 मिलीलीटर जल में 17 मिलियन से अधिक मल बैक्टीरिया मौजूद हैं** और यह एक **गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है**। इसमें **ऑक्सीजन की मात्रा भी शून्य है**।
- **पुनरुद्धार:**
 - **राष्ट्रीय हरति अधिकरण (National Green Tribunal)** द्वारा **पश्चिम बंगाल सरकार** को निर्देशित किया गया है **कनिदी के पुनरुद्धार कार्य को सकारात्मक रूप से 30 सितंबर, 2025 तक पूरा किया जाए**।
 - **बांग्लादेश के सलिहट** में गैर-लाभकारी **एक्शन एड** द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन के दौरान **प्रदूषण संबंधी अध्ययन** के लिये इस नदी का चयन किया गया था।
 - **आदिगंगा के अतिरिक्त बांग्लादेश में बुरीगंगा, चीन में पुयांग, नेपाल में बागमती और मलेशिया में क्लैंग** का भी इस सम्मेलन के दौरान **प्रदूषण संबंधी अध्ययन** के लिये चयन किया गया था।

नोट:

- आदिगंगा, जैसे **गोबदिपुर करीक, सुरमन नहर** और (वर्तमान में) **टोली नहर** के रूप में भी जाना जाता है, **15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुगली नदी की मुख्य धारा थी** जो प्राकृतिक कारणों से सूख गई थी।
- वर्ष 1750 के आसपास नदी के मुख्य मार्ग को हावड़ा से सटी सरस्वती नदी के नचिले हिस्से से जोड़ने के लिये एक नहर का निर्माण किया गया था।
 - नतीजतन, **आदिगंगा** एक छोटी सहायक नदी में तब्दील होने के बाद **हुगली मुख्य नदी बन गई**।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन (NMCG):

परिचय:

- 12 अगस्त, 2011 को NMCG को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
- NMCG को गंगा नदी के कार्याकल्प, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय परिषद द्वारा लागू किया गया है जसि राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में भी जाना जाता है।

उद्देश्य:

- NMCG का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना एवं गंगा नदी का कार्याकल्प सुनिश्चित करना है।
- जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक योजना एवं प्रबंधन तथा नदी में न्यूनतम पारस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने के लिये अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना है।

संगठन संरचना:

- इस अधिनियम में गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन के उपाय करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर पाँच स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है।
 - भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद।
 - केंद्रीय जल शक्ति मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्य बल (ETF)।
 - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन (NMCG)।
 - राज्य गंगा समितियाँ।
 - राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से सटे प्रत्येक नरिदष्टित ज़िले में ज़िला गंगा समितियाँ।

गंगा से संबंधित अन्य पहलें:

- नमामि गंगे कार्यक्रम:** नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मशिन है जसि जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कार्याकल्प जैसे दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
 - गंगा नदी को वर्ष 2008 में भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया गया।
- गंगा एक्शन प्लान:** यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन व घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार करना था।
 - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा कार्ययोजना का वसितार है। इसका उद्देश्य गंगा कार्ययोजना चरण-2 के तहत गंगा नदी की सफाई करना है।
- भुवन-गंगा वेब एप:** यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की नगिरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों पर वचिर कीजयि: (2013)

राष्ट्रीय उद्यान उद्यान से होकर बहने वाली नदी

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | गंगा |
| 2. काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | मानस |
| 3. साइलेंट वैली नेशनल पार्क | कावेरी |

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d)

प्रश्न. टहिरी जलवदियुत परयोजना नमिनलखिति में से कसि नदी पर स्थति है? (2008)

- (a) अलकनंदा
(b) भागीरथी
(c) धौलीगंगा

स्रोत: डाउन टू अर्थ

मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति: संयुक्त राष्ट्र

प्रलिस के लिये:

महिलाओं से संबंधित मुद्दे, मातृ मृत्यु दर, SDG

मेन्स के लिये:

मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति संयुक्त राष्ट्र।

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) की नई रिपोर्ट "मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति (Trends in Maternal Mortality)" के अनुसार, वर्ष 2020 में दर्ज अनुमानित 287,000 मातृ मृत्यु की घटनाओं में से 70% उप-सहारा अफ्रीका में हुई।

- उप-सहारा अफ्रीका में मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रति लाख जीवित जन्म पर 545 मौतों के खतरनाक उच्च स्तर पर थी, जो वैश्विक औसत 223 से कई गुना अधिक थी।

रिपोर्ट के मुख्य नष्कर्ष:

सांख्यिकी:

- हर दो मिनट में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु हो जाती है, जो हाल के वर्षों में **महिलाओं के स्वास्थ्य की खतरनाक स्थिति** का खुलासा करती है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में मातृ मृत्यु की घटनाएँ या तो बढ़ी या स्थिर रही हैं।
- वर्ष 2020 में जब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) लागू हुए थे उस समय विश्व भर में अनुमानित: 287,000 मातृ मृत्यु की घटनाएँ देखी गईं, जो वर्ष 2016 के 309,000 से थोड़ी कम हैं।
- हालाँकि वर्ष 2000 और 2015 के मध्य मातृ मृत्यु के आँकड़े को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है**, इसके बाद प्रगति काफी हद तक स्थिति रही या कुछ मामलों में विपरीत भी देखी गई है।

मातृ मृत्यु अनुपात:

- वर्ष 2020 में कुल मातृ मृत्यु की लगभग 70% घटनाएँ उप-सहारा अफ्रीका में देखी गईं।
- उच्च या अतिउच्च MMR वाले विश्व के शीर्ष तीन उप-क्षेत्र उप-सहारा अफ्रीका में पाए गए।**
 - यह पश्चिमी अफ्रीका में 754 मध्य अफ्रीका में 539 और पूर्वी अफ्रीका में 351 देखी गईं।
 - देश के स्तर पर दक्षिण सूडान (1,223), चाड (1,063) और नाइजीरिया (1,047) में एक समान प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें बहुत अधिक यानी 1,000 से अधिक MMR दर्ज किया गया।
- वर्ष 2020 में लगभग 82,000 मातृ मृत्यु के आँकड़े के साथ **नाइजीरिया में महामारी वर्ष में कुल अनुमानित वैश्विक मातृ मृत्यु की लगभग एक-चौथाई (28.5%) घटनाएँ देखी गईं।**
- वर्ष 2000 से 2020 तक उप-सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ओशनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) तथा पश्चिमी एशिया, पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में MMR में गिरावट की स्थिति स्थिर रही।

मातृ मृत्यु का कारण:

- मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण **गंभीर रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था से संबंधित संक्रमण**, असुरक्षित गर्भपात की वजह से जटिलताएँ तथा अंतरनहित स्थितियाँ हैं, जो गर्भावस्था (जैसे HIV/एड्स और मलेरिया) में कर्षता पहुँचा सकती हैं।
 - विश्व स्तर पर 1,878 HIV से संबंधित अप्रत्यक्ष मातृ मृत्यु की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 1,738 (लगभग 92.5%) उप-सहारा अफ्रीका में हुईं।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अंतर:

- मोटे तौर पर **एक-तहियाँ महिलाएँ अनुशंसित आठ प्रसवपूर्व जाँचों में से चार भी नहीं करा पाती हैं** या फिर उन्हें आवश्यक प्रसवोत्तर देखभाल की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। साथ ही लगभग 270 मिलियन महिलाओं की आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुँच नहीं है।

जोखिम:

- आय, शिक्षा, नस्ल अथवा जातीयता से संबंधित असमानताएँ आवश्यक मातृत्व देखभाल तक सीमिति पहुँच के साधनमिनावस्था में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिये जोखिम को और बढ़ा देती हैं, इनमें गर्भावस्था में अंतरनहिति स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करने की सबसे अधिक संभावना है।

प्रमुख बढि:

- भारत वर्ष 2020 में 24,000 के आँकड़े के साथ मातृ मृत्यु दर के मामले में नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर था।
- हालाँकि वर्ष 2000 से 2020 के बीच भारत में MMR में कुल मिलाकर 73.5% की कमी आई है।
- वर्ष 2020 में भारत का MMR 103 पर था, 20वीं सदी के अंत में भारत 384वें स्थान पर था।
 - तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अर्जेंटीना (वर्ष 2020 में MMR 45), भूटान (60), ब्राज़ील (72), करिगज़िस्तान (50) और फलीपीस (78) जैसे विकासशील देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

सुझाव:

- **अधिक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली:**
 - त्वरति कार्रवाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नविश में वृद्धिकर और मज़बूत, **अधिक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली** का निर्माण कर हम कई जीवन बचा सकते हैं, स्वास्थ्य सुधार एवं कल्याण में वृद्धिकर सकते हैं, महिलाओं तथा कशिरों के अधिकारों को बढ़ावा देकर उनके लिये संभावनाओं में वृद्धिकर सकते हैं।
- **समुदाय-केंद्रति स्वास्थ्य देखभाल:**
 - समुदाय-केंद्रति प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से महिलाओं, बच्चों और कशिरों की ज़रूरतों को पूरा करने तथा प्रसव के समय एवं प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल, बचपन में टीकाकरण, पोषण एवं परिवार नियोजन जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं तक समान पहुँच को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **प्रजनन स्वास्थ्य पर नयितरण:**
 - अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर नयितरण रखना, विशेष रूप से बच्चे पैदा करने के बारे में नरिणय लेना, यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि महिलाएँ बच्चे पैदा करने की योजना बना सकती हैं एवं अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं।
- **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयास:**
 - मातृ-मृत्यु की रोकथाम तथा गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिये विशेष रूप से सबसे कमज़ोर आबादी हेतु नरितर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों एवं अटूट प्रतबिद्धताओं की आवश्यकता होती है।
 - यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि प्रत्येक जगह, हर माँ प्रसव के दौरान जीवति रहे, ताकविह और उसके बच्चे फल-फूल सकें।
- **वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना:**
 - विश्व में मातृ मृत्यु को कम करने के लिये वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने की प्रगति में और तेज़ी लानी चाहिये अन्यथा वर्ष 2030 तक 1 मिलियन से अधिक महिलाओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
 - मातृ मृत्यु के लिये SDG लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति 100,000 जीवति जन्मों पर 70 से कम मातृ मृत्यु के वैश्विक MMR के लिये प्रतबिद्ध है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

60% मतदाताओं ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा

प्रलिमिंस के लिये:

नरिवाचन आयोग (EC), आधार संख्या, पुट्टास्वामी मामला (नजिता का अधिकार), डजिटिल व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2022

मेन्स के लिये:

भारत में आधार लकिगि की स्थिति, आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से संबंधति मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

नरिवाचन आयोग के अनुसार, भारत के 94.5 करोड़ मतदाताओं में से 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने **आधार नंबर** को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा है।

भारत में आधार लकिगि स्थिति:

- त्रपुरा में आधार लकिगि दर उच्चतम है, इस राज्य में 92% से अधिक मतदाताओं ने नरिवाचन आयोग के साथ अपना आधार वरिण साझा कया है।
- आधार लकिगि दर में लक्षद्वीप दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहाँ क्रमशः 91% एवं 86% से अधिक मतदाताओं ने आधार संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा है।
- दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में आधार पंजीकरण का अनुपात कम है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह दर 71% है, तमलिनाडु तथा केरल में यह क्रमशः लगभग 63% और 61% है।
- गुजरात में मतदाताओं का आधार पंजीकरण सबसे कम है, केवल 31.5% मतदाताओं ने आधार को अपने मतदाता पंजीकरण से लकि कया है।
 - साथ ही दलिी में 34% से भी कम मतदाताओं के आधार मतदाता पहचान पत्र से जुड़े (लकिड) हुए हैं।

सरकार द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर ज़ोर देने का कारण:

- डेटाबेस को अद्यतति करना:
 - इस लकिगि परियोजना से चुनाव आयोग को काफी मदद मलिगी, जो आए दनिमतदाता आधार के अद्यतन और सटीक रकिॉर्ड को बनाए रखने के लयि नयिमति अभ्यास करता रहता है।
- प्रतलिपिथिों (Duplicate) को हटाना:
 - मतदाताओं के दोहराव को समाप्त करना, उदाहरण के लयि **प्रवासी शरमकि**, जनिका वभिनिन नरिवाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक से अधिक बार पंजीकरण अथवा कसिी व्यक्ता द्वारा एक ही नरिवाचन क्षेत्र में कई बार पंजीकरण कराया जाना, अतः इस प्रकार की समस्याओं से नपिटने के लयि प्रतलिपिथिों को हटाने का कार्य कया जा सकता है।
- अखलि भारतीय मतदाता पहचान पत्र:
 - सरकार के अनुसार, आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने सेयह सुनशिचति करने में मदद मलिगी कि भारत के प्रत्येक नागरकि को केवल एक मतदाता पहचान पत्र जारी कया गया है।

आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने संबंधी मुद्दे:

- अस्पष्ट संवैधानकि स्थिति:
 - पुट्टास्वामी मामले (गोपनीयता का अधिकार) में सर्वोच्च न्यायालय ने जनि प्रश्नों की पड़ताल की उनमें से एक यह था कि कया बैंक खातों के साथ आधार को अनवार्य रूप से जोड़ना संवैधानकि है या नहीं।
- भनिन उद्देश्य:
 - मतदाताओं का नरिधारण करने के उद्देश्य से आधार को प्राथमकिता देना हैरान करने वाला है क्योकआधार केवल नवास का प्रमाण है, न कि नागरकिता का प्रमाण।
 - इसलयि इसके द्वारा मतदाता पहचान को सत्यापति करने से केवल दोहराव से नपिटने में मदद मलिगी, लेकनि यह मतदाता सूची से उन मतदाताओं को नहीं हटाएगा जो भारत के नागरकि नहीं हैं।

आगे की राह

- मतदाता पहचान पत्र को आधार से लकि करने के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ सरकार **डजिटल व्यक्तागित डेटा संरक्षण (DPDP) वधियक, 2022** को लागू करने हेतु भी तत्पर है। DPDP व्यवस्था को सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होना चाहयि जसिमें उन्हें वभिनिन सरकारी संस्थाओं में अपने डेटा को साझा करने से पूर्व कसिी व्यक्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

??????????:

नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरकिता या अधवास के प्रमाण के रूप में कया जा सकता है।
2. एक बार जारी करने के पश्चात् इसे नरिगत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को नषिक्रयि या लुप्त नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के वसितार का परीक्षण कीजिये। (2017)

स्रोत: द हद्दि

रूस-यूक्रेन संघर्ष का एक वर्ष

प्रलिमिस के लिये:

न्यू स्टार्ट संधि, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO), काला सागर अनाज पहल।

मेन्स के लिये:

भारत पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव, वैश्विक प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

रूस-यूक्रेन संघर्ष के एक वर्ष पूरे होने के बाद भी विश्व के कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ने के संकेत हैं। दोनों पक्षों का यह मानना था कयिह एक तीव्र और कम समय तक चलने वाला युद्ध होगा, जो क गलत साबति हुआ है।

- न्यू स्टार्ट संधि से रूस के बाहर नकिलने के समय इस युद्ध/संघर्ष को एक वर्ष पूरा हो रहा है।

संघर्ष की वर्तमान स्थिति:

- पश्चिमी देशों ने हाल ही में यूक्रेन को अधिक उन्नत हथियारों की आपूर्त करने की घोषणा की है, जसिसे इस संघर्ष में उनकी भागीदारी गहरी हुई है।
 - जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादमिर पुतनि ने पहले ही यूक्रेन में 1,000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा नरिमाण के साथ रूस की स्थतिको मज़बूत कर दया है।
- युद्ध के वसितार से रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सीधे टकराव का जोखमि भी बढ़ रहा है।



MID-NOV: 54% of territory captured by Russia reclaimed by Ukraine.

- रूस, यूक्रेन को पूरव और दक्षिण, उत्तर-पूरव में खार्कवि से लेकर पूरव में डोनेबास (जिसमें लुहांस्क और दोनेत्स्क शामिल हैं) से दक्षिण-पश्चिम में काला सागर बंदरगाह शहर ओडेसा तक आधिपत्य स्थापित कर इस देश को एक भू-आबद्ध छोटे क्षेत्र (Land-locked Rump) में परिवर्तित करना चाहता था। रूस यहाँ मास्को के अनुकूल शासन भी स्थापित करना चाहता था परंतु रूस इनमें से किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है।
- फरि भी रूस ने मारियुपोल सहित यूक्रेनी क्षेत्रों के पर्याप्त हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में रूस का क्षेत्रीय लाभ मार्च 2022 में चरम पर था, जब उसने वर्ष 2014 से पहले के यूक्रेन के लगभग 22% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था।
- यूक्रेन ने खार्कवि और खेरसॉन में कुछ भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया फरि भी यूक्रेन के लगभग 17% हिस्से पर रूस का नियंत्रण है।
- बखमुत, दोनेत्स्क और ज़ापोरिज़िया सहित कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर लड़ाई जारी है।

पश्चिम की प्रतिक्रिया:

- **दृष्टिकोण:**
 - रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता को कमजोर करना।
 - रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये यूक्रेन को हथियार प्रदान करना।
- **प्रमुख सहायता प्रदाता:**
 - संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सहायता प्रदाता है, इसने 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य और वित्तीय सहायता का वादा किया है।
 - यूरोपीय संघ ने 37 बिलियन डॉलर का वादा किया है और यूरोपीय संघ के देशों में ब्रिटेन और जर्मनी सूची में शीर्ष पर हैं।
- **पश्चिमी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन:**
 - यूक्रेन को सैन्य-उपकरण प्रदान करने का दृष्टिकोण हालाँकि रूसी प्रगति को रोकने में प्रभावी रहा है, जबकि रूस को आर्थिक रूप से क्षति पहुँचाना एक दोधारी तलवार के समान रहा है।
 - तेल एवं गैस के शीर्ष वैश्विक उत्पादकों में से एक रूस पर प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे पश्चिम में, विशेष रूप से यूरोप में मुद्रास्फीति का संकट गहरा गया।
 - इससे रूस को भी आघात लगा लेकिन उसने एशिया में ऊर्जा निर्यात के लिये अपने वैकल्पिक बाजार खोज लिये, जिससे वैश्विक ऊर्जा निर्यात परदृश्य का पुनर्निर्धारण हुआ। वर्ष 2022 में प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपने तेल उत्पादन में 2% की

वृद्धि की और तेल नरियात आय में 20% की वृद्धि हुई।

- रूसी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023 में 2% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था, लेकिन IMF के अनुसार, इसके वर्ष 2023 में 0.3% और वर्ष 2024 में 2.1% वृद्धि की उम्मीद है।
- इसकी तुलना में यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में वर्ष 2023 में 0.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े समर्थक ब्रिटेन में 0.6% की गिरावट का अनुमान है।

क्या बातचीत के ज़रिये समाधान की संभावना है?

- दोनों पक्षों ने मार्च 2022 में संभावित शांति योजना के बारे में कई मसौदों का आदान-प्रदान किया था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन के रूस के साथ किसी भी समझौते पर पहुँचने का कड़ा वरिध किया था इसलिये वार्ता वफिल हो गई।
- जुलाई 2022 में तुर्की ने काला सागर के माध्यम से रूसी और यूक्रेनी खाद्यान्न की निकासी पर एक सौदा किया, जसि [ब्लैक सी ग्रेन पहल](#) के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा युद्धरत पक्ष कुछ कैदी वनिमिय समझौतों पर पहुँचे थे।
- इन्हें छोड़कर दोनों पक्षों के मध्य वार्तालाप न के बराबर है।
 - रूस अपने "वशिय सैन्य अभियान" की धीमी प्रगतिके बावजूद अडगि है।
 - ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा था कविह रूस के साथ क्षेत्रीय समझौता करने वाले किसी भी समझौते पर मध्यस्ता नहीं करेंगे।
 - वार्तालाप हेतु पश्चिमी देशों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है।
 - चीन ने अपनी शांति पहल के साथ कदम रखा है, जो अभी तक अधिकार क्षेत्र (domain) में नहीं है।
- किसी भी शांति योजना को सफल होने के लिये कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना होगा।
 - यूक्रेन की क्षेत्रीय चिताएँ।
 - रूस की सुरक्षा चिताएँ।
 - वाशिंगटन और मास्को को किसी नषिकर्ष तक पहुँचना चाहिये क्योंकि यूक्रेन की पश्चिम के देशों पर नरिभरता को देखते हुए उसे किसी भी अंतिम समझौते पर सहमतिके लिये पश्चिम के देशों से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी।
 - हालाँकि नई स्टार्ट (START) संधि से रूसी वापसी के संदर्भ में नकिट भविष्य में किसी तरहके समझौतों की संभावना धूमलि दखिती है।

युद्ध ने भू-राजनीतिको किस प्रकार नया रूप दिया है?

- सुरक्षा और रक्षा पर अधिक ध्यान:
 - युद्ध ने यूरोप-अमेरिका सुरक्षा गठबंधन को फरि से सकरयि कर दिया है। नाटो ने स्वीडन और फनिलैंड के प्रस्तावति अंतरवेशन (Inclusion) के लिये अपने द्वार खोल दिये हैं, जो एक बार (तुर्की की मंजूरी की प्रतीक्षा है) रूस के खिलाफ गठबंधन की नई सैन्य सीमाओं का नरिमाण करेगा।
- वशिवास की कमी:
 - रूस और पश्चिम के मध्य वशिवास की कमी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन यूक्रेन में हथियारों की आपूर्ति कर रहा है।
 - हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन की सभी मांगों को स्वीकार करने के लिये अनचिछुक प्रतीत होते हैं, जसिमें F16s सहित लड़ाकू विमान की मांग शामिल है; शायद अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के व्यापक होने के जोखमि के प्रतिसिचेत हैं।
- चीन की भूमिका:
 - मास्को ने वर्ष 2022 में चीन के साथ अपनी दोस्ती को "असीमति" घोषित किया लेकिन चीन भी अपने यूरोप के साथ संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहता है।
 - चीन ने रूस को हथियारों में योगदान नहीं दिया है और परमाणु युद्ध के खिलाफ अपनी आपत्ति भी व्यक्त की है।
- हालाँकि अमेरिका और यूरोप रूस को चीनी हथियारों की आपूर्तिके बारे में अभी भी चतिति हैं।

भारत की स्थिति:

- यूक्रेन युद्ध सामरिक स्वायत्तता का अभ्यास करने का एक अवसर रहा है। भारत ने तटस्थता अपनाते हुए वैश्विक शांतिका समर्थन करते हुए मास्को, रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखा है।
- भारत ने रूस से तेल खरीदने हेतु पश्चिमी प्रतर्बिधों के वातावरण में काम किया। भारत, रूस से 25% तेल खरीद कर रहा है, जो पहले 2% से भी कम थी।
- भारत हाल ही में युद्ध की पहली वर्षगाँठ पर UNGA के एक प्रस्ताव से अनुपस्थिति रहा, जसिमें रूस को अपने क्षेत्र से हटने के लिये कहा गया, क्योंकि प्रस्ताव में स्थायी शांति स्थापति करने के स्थायी लक्ष्य की कमी थी।
 - रूसी आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट पर अब तक हुएतीन बार के मतदान में भारत सभी में अनुपस्थिति रहा है।
- लेकिन अगर युद्ध जारी रहता है तो पश्चिमी गठबंधन भारत पर "सही पक्ष" का समर्थन करने हेतु दबाव बढ़ाएगा।
- भारत ने उम्मीद जताई है कविह शांति हेतु अपनी G-20 अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है।

आगे की राह

- संघर्षशील पक्षों फरि से बात करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि शत्रुता और हिसा का बढ़ना कसिी के हति में नहीं है ।
- अंतरराष्टरीय सदिधांत और न्यायशास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं क संघर्ष के पक्षकारों को यह सुनशिचति करना चाहयि कनीगरकिों एवं नागरकि बुनयिादी ढाँचे को लक्षति नहीं कयिा जाना चाहयि त था वैश्वकि व्यवस्था अंतरराष्टरीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की कषेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के सममान पर स्थापति होती है । इन सदिधांतों का बनिा कसिी अपवाद के पालन कयिा जाना चाहयि ।

स्रोत: द हदि

EPS के तहत उच्च पेंशन

प्रलिमिस के लयि:

EPFO, EPS, सर्वोच्च न्यायालय, कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 ।

मेन्स के लयि:

EPS के तहत उच्च पेंशन ।

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) के 4 नवंबर, 2022 के नरिणय के अनुसार, [कर्मचारी भवषिय नधि संगठन \(EPFO\)](#) ने अपने पुराने सदस्यों के एक वर्ग को [कर्मचारी पेंशन योजना \(EPS\)](#) के तहत उच्च पेंशन का वकिलप चुनने की अनुमति देने हेतु दशिा-नरिदेश जारी कयिे हैं ।

SC का नवंबर 2022 का नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने [कर्मचारी पेंशन \(संशोधन\) योजना, 2014](#) को बरकरार रखा, लेकनि नई योजना का वकिलप चुनने की समय-सीमा को चार महीने बढ़ा दयिा ।
- अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय EPFO सदस्यों, जनिहोंने EPS का लाभ उठाया है, को अगले चार महीनों में अपने वास्तवकि वेतन का 8.33% तक का वकिलप चुनने एवं योगदान करने का एक और अवसर प्रदान करता है, जबकि पेंशन योग्य वेतन का 8.33% पेंशन के लयि 15,000 रुपए प्रतमिाह तक सीमति है ।
 - पूर्व-संशोधन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने से पहले के 12 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत के रूप में की गई थी । पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने को लेकर संशोधनों ने इसे औसतन 60 महीने तक बढ़ा दयिा ।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया क सदस्यों को प्रतमिाह 15,000 रुपए से अधिक वेतन का अतरिकित 1.16% योगदान करने की आवश्यकता वाला संशोधन कर्मचारी भवषिय नधि और वविधि प्रावधान अधनियिम, 1952 का उल्लंघन करता है ।

नए दशिा-नरिदेश:

- नए दशिा-नरिदेश कर्मचारियों के EPS के लयि वास्तवकि मूल वेतन (मूल वेतन + DA) के 8.33% के बराबर की राशि काटने के लयि वडिे की व्यवस्था करते हैं, जसिसे बड़ी राशि जमा करने और उच्च पेंशन राशि प्राप्त करने में मदद मलिती है ।
 - वर्तमान में कर्मचारियों से EPS योगदान पेंशन योग्य वेतन के लयि अधिकतम 15,000 रुपए है ।
- जो अंशधारक इसका वकिलप चुनते हैं, उनके लयि सतिंबर 2014 से कर्मचारी भवषिय नधि (EPF) में जाने वाले नयिकताओं के हसिसे कभ्रजति ब्याज के साथ EPS में स्थानांतरति कर दयिा जाएगा ।
- लाभ प्राप्त करने हेतु मूल मानदंड हैं:
 - कर्मचारी जो 1 सतिंबर, 2014 से पहले सदस्य थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे ।
 - कर्मचारी और नयिकता जनिहोंने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दयिा था ।
 - कर्मचारी और नयिकता जनिहोंने EPS सदस्य होने के दौरान संयुक्त वकिलप का प्रयोग नहीं कयिा था ।

कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme- EPS):

- EPFO द्वारा प्रशासित EPS, वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। पेंशन फंड में PF कॉर्पस हेतु नियोक्ताओं के योगदान का 8.33% जमा करना होता है।
- यह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु पेंशन का प्रावधान करता है।
- जो कर्मचारी EPF के सदस्य हैं वे स्वतः ही EPS के सदस्य बन जाते हैं।
 - कर्मचारी भविष्य नधि (Employees' Provident Fund- EPF) योजना में नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मासिक वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12% योगदान करते हैं।
 - EPF योजना उन कर्मचारियों हेतु अनिवार्य है जो प्रतिमाह 15,000 रुपए का मूल वेतन प्राप्त करते हैं।
 - नियोक्ता के 12% हस्से में से 8.33% EPS में जमा किया जाता है।
 - केंद्र सरकार भी कर्मचारियों के मासिक वेतन का 1.16% योगदान करती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में नयिोजति अनयित मज़दूरों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. सभी अनयित मज़दूर कर्मचारी भवषिय नधि सुरक्षा के हकदार हैं।
2. सभी अनयित मज़दूर नयिमति कार्य समय और समयोपरर भुगतान के हकदार हैं।
3. सरकार अधसिचना द्वारा यह वनिरिदषिट कर सकती है कि कोई प्रतषिठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/24-02-2023/print>